

लोक शिक्षण संचालनालय,  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.4/सौ/अं.जि.स्थानां./29/2012/706

भोपाल, दिनांक 13/7/2012

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर लिपकीय/भृत्य संवर्ग के अंतर जिला स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

क्रं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित जिले का नाम
1	2	3	4
1	कु0 अपूर्वा रागणेकर सहायक ग्रेड-3 UNIQUE	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला बडवानी	इन्दौर
2	श्री नरेन्द्र सिंह बघेल लेखापाल UNIQUE AS7220	जनपद शिक्षा केन्द्र लालबर्गा जिला, बालाघाट	सिवनी
3	श्री विजय व्यास लेखापाल UNIQUE AZ 9941	शा0 हाइस्कूल बेरछादातार जिला शाजापुर	उज्जैन
4	श्री गौरव श्रीवास्तव सहायक ग्रेड-3 UNIQUE BU 6924	शास0उत्कृष्ट उ0मा0वि0 बैढन जिला सिंगरोली	सतना
5	श्री अखिलेश कुमार तिवारी भृत्य UNIQUE BB 8978	शा0उ0मा0वि0खडडी जिला सीधी	रीवा
6	श्री शाहिद खान सहा0ग्रेड-2 UNIQUE BA6207	कार्या0विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला श्योपुर (मिजयपुर)	मिण्ड
7	श्री संतोष कुमार शर्मा गणक UNIQUE BI 6412	शास0 उ0मा0वि0बडायला माता जिला रतलाम	मिण्ड
8	श्रीमती कुसुम रायकवार भृत्य UNIQUE AI 6676	शा0कन्या उ0मा0वि0 इंदरगढ जिला दतिया	ग्वालियर
09	श्री राजेश सिंह दादोरिया भृत्य UNIQUE BP 3626	शास0उत्कृष्ट उ0मा0वि0विजयपुर जिला श्योपुर	मुरेना
10	श्री जितेन्द्र वरेया, भृत्य UNIQUE	शास0उ0मा0वि0 इन्द्रगढ जिला दतिया	मिण्ड
11	श्री महेश कुमार अहिरवाल भृत्य UNIQUE UK 6278	शास0उ0मा0वि0जोनतला तह0बुधनी जिला सीहोर	कटनी
12	श्रीमती ललिता साकेत भृत्य UNIQUE AV3764	शास0उ0मा0वि0 गोलहटा जिला सतना	रीवा

- 2/ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 6-2/2012/एक /9, दिनांक 01.05.2012 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2012-13 के अनुक्रम में स्थानांतरित जिले/स्थान में पद रिक्त होने की पुष्टि उपरांत ही संस्था में रिक्त पद पर पदस्थापना की जाए।
- 3/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 4/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये।
- 6/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे। यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- 7/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थानांतरित जिले के स्थानांतरित कर्मचारी की जिन्ने में पदस्थापना आदेश 7 दिवस में जारी करना होंगे।
- पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्त उपरांत कर्मचारी को नवीन पदस्थापना पर तत्काल उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
- प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार)

( सभाजीत यादव )

संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 13/7/2012

पृष्ठांक./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./ 29 /2012/707

प्रतिलिपि:-

- 01 निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
- 02 निज सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
- 03 संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण जबलपुर/रीवा/ग्वालियर/उज्जैन/इन्दौर/जबलपुर/रीवा/भोपाल।
- 05 सहायक संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- 06 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बड़वानी/इन्दौर/बालाघाट/उज्जैन/सिंगरोली/सतना/सीधी/श्यामपुर/भिण्ड/रतलाम/दतिया/ग्वालियर/सीहोर/कटनी/रीवा/मुरेना/झारपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
- 07 संबंधित की ओर सूचनार्थ

संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश